कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश

05/नि॰ अंके॰(सृजन महिला वाचन)–43/2017

M/s A.K. Mishra & Associates, सनदी लेखाकार, भागलपुरबिहार राज्य के निबंधित सहकारी समितियों के अंकेक्षण हेतु बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा–33 के अन्तर्गत तैयार विभागीय पैनल में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1901 दिनांक 23.02.2017 के साथ संलग्न सनदी लेखाकारों की सूची के क्रमांक–7 एवं Empanelment No. C-016/17 RCS, Bihar पर सूचीबद्ध हैं। उक्त CAफर्म ICAI, कानपुर द्वारा निबंधित है एवं निबंधन संख्या–355163Cदिनांक 06.09.1990 है।

M/s A.K. Mishra & Associates, सनदी लेखाकार, भागलपुर द्वारा सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि॰, सबौर, भागलपुर के विभिन्न वर्षो यथावर्ष 2003–04 से 2012–13 एवं वर्ष 2014–15 से 2015–16 का अंकेक्षण किया गया है परन्तु उक्त CAफर्म द्वारा उपरोक्त समिति के अंकेक्षण के क्रम में विभागीय अंकेक्षण अनुदेश ज्ञापांक–4234, दिनांक 24.09.2005 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों/अनुदेशों की अवहेलना किये जाने की स्थिति में उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गई। CAफर्म द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 18.09.2017 में यह उल्लेख करते हुए कि विभागीय पत्रांक–4234 दिनांक–24.09.2005 द्वारा मुख्यतः राज्य सहकारिता बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए लागू है, उक्त अनुदेश के अनुपालन की प्रासंगिकता को ही नकारा गया है।

विदित है कि सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि॰, सबौर, भागलपुर द्वारा लंबी अवधि से सरकारी खाते से जालसाजी द्वारा राशि प्राप्त करने, वित्तीय अनियमितता तथा धोखाधड़ी करते हुए सरकारी राशि के अवैध संव्यवहार के संबंध में जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा सूचना सरकार को प्रतिवेदित है एवं इसकी जाँच EOU, बिहार एवं CBIद्वारा की जा रही है परन्तु सनदी लेखाकार A.K. Mishra & Associatesद्वारा उक्त समिति के विभिन्न वर्षों का किये गये अंकेक्षण में समिति द्वारा की गयी उक्त वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी राशि के अवैध संव्यवहार से संबंधित उल्लेख किसी भी अंकेक्षण प्रतिवेदन में नहीं किया गया है।

मामलें की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक 235(प्र०)/सी॰ दिनांक 27.09.2017 द्वारा भी सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि॰, सबौर, भागलपुर द्वारा किये गये वित्तीय अनियमितता, नियम विरूद्ध कार्य एवं सरकारी राशि के अवैध हस्तांतरण के प्रमाणित तथ्य के आलोक में उक्त समिति के त्रुटिपूर्ण अंकेक्षण कार्य हेतु संबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म/चार्टर्ड एकाउन्टेंट को Black List करने एवं Registrationरद्द करने हेतु विभाग को प्रतिवेदित किया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में CA फर्म A.K. Mishra & Associatesद्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 18.09.2017, जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा समर्पित प्रतिवेदन तथा उक्त CA फर्म द्वारा सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि॰, सबौर, भागलपुर के पूर्व के वर्षों में किये गये अंकेक्षण एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि विभागीय पत्रांक 4234 दिनांक 24.09.2005 द्वारा निर्गत अनुदेश सभी सहकारी समितियों के अंकेक्षण हेतु प्रभावी है तथा CA फर्म A.K. Mishra & Associatesद्वारा उक्त अनुदेश की कंडिका–3,4,5,8 का अनुपालन नहीं करते हुए समिति के अंकेक्षण प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से समावेश किये जाने वाले बिन्दुओं का पूर्णतः उल्लंघन किया गया है।अतः उक्त C.A फर्म के विरूद्ध विभागीय अनुदेशों के प्रतिकूल अंकेक्षण करने, अनिवार्य रूप से समावेश करने वाले बिन्दुओं को जानबूझ कर नजरअंदाज करने तथा सरकारी खाते से समिति द्वारा किए गए कपटपूर्ण जालसाजी एवं नियम विरूद्ध संव्यवहार तथा धोखाधड़ी मामलों को प्रकाश में नहीं लाने एवं तदनुसार उक्त समिति के कृत्यों में संलिप्तता तथा भागीदार रहने के आरोप स्थापित होते हैं।

उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के आलोक में C.A फर्म A.K. Mishra & Associates, भागलपुर को **काली सूची** में डाला जाता है। तदनुसार उक्त C.Aफर्म विभागीय पैनल से **बहिष्कृत (Delisted)** किया जाता है।

इस आदेश की प्रति राज्य सरकार के सभी विभागों एवं सभी जिला पदाधिकारियों को भेजी जाए। साथ ही, I.C.A.Iको उक्त C.A फर्म का निबंधन रद् करने हेतु सूचित भी किया जाए।

(नरेन्द्र प्रसाद मंडल)
निबंधक,सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 8288 / पटना, दिनांक 18.10.17
05/नि. अंके.(सृजन महिला वाचन)-43/2017

प्रतिलिपिः- 1. M/s A.K. Mishra& Associates, सनदी लेखाकार, भागलपुर,
2. सभी सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेंटस/चार्टर्ड एकाउन्टेंटस फर्म,
3. अध्यक्ष, सभी सहकारी समितियाँ,
4. प्रबंध निदेशक, राज्य सहकारी बैंक/सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक,
5. सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ,
6. सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ,
7. सभी उप-मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ,
8. सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी,
9. सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ,
10. सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ,
11. प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना,
12. सभी जिला पदाधिकारी,
13. सभी प्रधान सचिव/सचिव,सभी विभाग, बिहार, पटना,
13. मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ अग्रसारित।

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 8288 / पटना, दिनांक 18.10.17
05/नि. अंके.(सृजन महिला वाचन)-43/2017

प्रतिलिपिः- Joint Director, Disciplinary Directorate, ICAI, "ICAI Bhawan", Indraprastha Marg, Post Box No.7100, New Delhi-110002, India/Secretary, ICAI, PO Box 314, 16/77-B, Civil Lines, (Behind RBI), KANPUR- 208001 को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि संबंधित सनदी लेखाकार के निबंधन रद्द करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 8288 / पटना, दिनांक 18.10.17
05/नि. अंके.(सृजन महिला वाचन)-43/2017

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।